

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(6358)सूप्रौ/संस्था/14/01975/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जयपुर, दिनांक 13/07/2018

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.सं.	मोर्टेड नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	W-4	आशीष शर्मा	कार्यालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर	VICE PRINCIPAL /SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC), RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), JUNIOR ENG.-I (CONTROL & COMMUNICATION) AND ASSISTANT ENGINEER(IT)
2	19	अपेक्षित शर्मा	कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा	RAS/RTS COMB. EXAM-2018 (RPSC)
3	347	आनंद बिहारी शर्मा	कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC) AND ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC)
4	957	अर्निका राठी	कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC)
5	1173	अतुल गुप्ता	कार्यालय उप श्रम आयुक्त विभाग, अलवर	CIVIL SERVICES COMP. EXAM-2018(UPSC), RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), SCHOOL LECTURER EXAM-2018(RPSC) AND SECOND GRADE COMP. EXAM-2018(RPSC)
6	1731	चन्द्रशेखर शर्मा	कार्यालय सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, चित्तौड़गढ़	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB), RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC) AND JUNIOR INSTRUCTOR EXAM-2018(RSMSSB)
7	1736	आकाश शर्मा	कार्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर	UGC NET EXAM- JULY 2018(CBSE), RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC), VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC) AND ASSISTANT ENGINEER(IT) EXAM-2018(RRVUN)
8	1840	अनिल शर्मा	कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC) AND SUB INSPECTOR COMB. EXAM-2018(RPSC)
9	1996	अर्चना तिवारी	कार्यालय लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC) AND INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB)
10	2339	अन्तिम कुमारी	कार्यालय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC) AND SCHOOL LECTURER EXAM-2018(RPSC)
11	2460	अरविन्द बगडिया	कार्यालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC), RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), VICE PRINCIPAL AND GROUP INSTRUCTOR EXAM-2018(RPSC) AND JUNIOR INSTRUCTOR EXAM-2018(RSMSSB)
12	2559	छवि शर्मा	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, किशनगढ़बास, अलवर	CGL EXAM-2018(SSC), JUNIOR INSTRUCTOR EXAM-2018(RSMSSB) AND ACF & FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC)
13	640	अमित कुमार सारस्वत	कार्यालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
14	1112	अनिल कुमार गौतम	कार्यालय सहायक कलेक्टर, (फास्ट-ट्रेक), निवाई, टोंक	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)

15	2156	अनिल कुमार	कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावदायी विभाग, सिरौही	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC) AND INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB)
16	2632	ओम भगवत मालावत	कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-12, जयपुर महानगर, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
17	4064	अंजू मीना	कार्यालय सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर(एपीओ में)	TAX ASSISTANT EXAM-2018, WOMEN SUPERVISOR EXAM-2018(RSMSSB), RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC) AND CGL EXAM-2018(SSC)
18	1765	अमित कुमार जोशी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, टोंक	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018
19	4093	चंचल सोनी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-रायपुर, पाली	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018, ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018 AND VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
20	3553	अश्विन कुमार	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-झालरापाटन, झालावाड	SUB INSPECTOR EXAM-2018 AND RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC)
21	334	अमृत लाल जीनगर	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-लूणी, जोधपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND IT INSTRUCTOR EXAM-2018
22	1447	छज्जन सिंह	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-वैर, भरतपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)
23	207	आसिम जफर	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, लाडपुरा, कोटा	ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018 AND VICE PRINCIPAL/SUPERINTENDENT ITI EXAM-2018(RPSC)
24	2369	छत्रपाल	एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, ब्लॉक-जैतारण, पाली	SCHOOL LECTURER(HISTORY) EXAM-2018(RPSC)
25	4174	अनिता सिंह गुर्जर	कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर, जयपुर	INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018, WOMEN SUPERVISOR EXAM-2018(RSMSSB) AND RAS/RTS COMB.COMP EXAM-2018(RPSC)
26	591	अंजलि शर्मा	कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, जयपुर	RAS/RTS COMB. EXAM-2018(RPSC), INDUSTRY EXTENSION OFFICER EXAM-2018(RSMSSB) AND JUNIOR INSTRUCTOR EXAM-2018(RSMSSB)
27	228	अंकित बंसल	कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, बारां	JUNIOR INSTRUCTOR EXAM-2018(RSMSSB)
28	3512	अंशु खोजा	कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	RAS/RTS COMB. COMP. EXAM-2018(RPSC)
29	1076	आशीष गुप्ता	कार्यालय कार्मिक(ख-2/जनरल पुस्तकालय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	ASSISTANT ENG.(IT) EXAM-2018, ACF AND FOREST RANGE OFFICER EXAM-2018(RPSC)
30	868	अरविन्द सैनी	कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, जयपुर शहर, जयपुर	JUNIOR INSTRUCTOR(COPA) EXAM-2018 AND ASSISTANT ENG. EXAM-2018(RRVUNL)

उक्त सूचना सहायकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

✓

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबधित कर्मचारी.....
- ✓ 3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सू. प्रौ एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. संबधित निजी /रक्षित पत्रावली।

✓

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(3022)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/101033/2018

जयपुर, दिनांक 10/07/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती कौशल सोनी, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है :-

Sr. No.	Exam Name
1.	U.G.C. Net Exam 2018
2.	Junior Instructor Exam(COPA) Exam 2018
3.	Vice Principal/Superintendent I.T.I. Exam 2018

श्रीमती कौशल सोनी, सूचना सहायक द्वारा उक्त निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

—Se—
(आशुतोष एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, हनुमानगढ़।
2. श्रीमती कौशल सोनी, सूचना सहायक कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भंडार, हनुमानगढ़।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)